कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग–जशपुर
जिला जशपुर (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

लोक निर्माण विभाग, जशपुर संभाग द्वारा सर्वेक्षण द्वारा पाया गया है कि प्रस्तावित **आगडीह हवाई पट्‌टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण** हेतु ग्राम तुरीलोदाम, तहसील जशपुर, जिला एवं वनमण्डल जशपुर, के लिए कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, क्योकि हवाई पट्‌टी के लम्बाई में 450 मीटर का विस्तार किया जाना है वर्तमान में हवाई पट्‌टी की लम्बाई लगभग 4000 फीट है जिसे 5000 फीट किया जाने की आवश्यकता है और उसके बाद लगभग 1000 फीट की खाली जगह छोडी जानी आवश्यक है दिनांक 16.09. 2009 को कलेक्टर महोदय जशपुर के निरिक्षण में यह निर्णय लिया गया कि हवाई पट्‌टी कों पश्चिम दिशा की ओर विस्तार किया जाना उचित होगा, पूर्व दिशा कि ओर वन भूमि के साथ साथ कोरवा एवं उरॉव आदिवासीयों कि भूमि प्रभावित होगी, विस्तारीकरण हेतु आयोजित ग्राम सभा में भू–अर्जन हेतु ग्रामिणों ने विरोध प्रदर्शित किया था, अतः विस्तारीकरण परियोजना के लिए 4.365 हे. राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है ।

दिनांक :– 05/02/2015
स्थान :– जशपुर

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग जशपुर
जिला – जशपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – ।

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण :–		आगडीह हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण	(i)	जशपुर जिले के जशपुर विकासखण्ड के ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, दाउ कल्याण सिहं भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 19/विमानन/2011 रायपुर दिनांक 25/10/2011 को स्वीकृति प्रदान की गई है, भविष्य की मांग अनुसार हवाई पट्टी में पश्चिम दिशा की ओर 450 मीटर का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है । हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार के लिये 4.365 हे. राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है ।

विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :–

क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष कमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.000
	योग :–				0.000

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि:–

अनु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6	7
1	जशपुर	जशपुर वनमंडल	जशपुर	तुरीलोदाम	188	1.975
2					195	2.389
	योग :–					4.365

(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैंप।	(ii)	वाछिंत मानचित्र/वनभूमि का मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत	(iii)	रूपये 885.69 लाख

(iv)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	(iv)	जशपुर जिले अन्तर्गत आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग दाउ कल्याण सिहं भवन, मंत्रालय रायपुर द्वारा प्रशासकीय एवं कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निमाण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र अम्बिकापुर के द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग जशपुर संभाग द्वारा सर्वे कार्य किया गया, सर्वे उपरान्त हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है ।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	(v)	आवश्यक नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	(vi)	निर्माण समय में लगभग 10 कुशल एवं 50 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन ।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण		परियोजना में आवश्यक वन भूमि का उपयोग सिर्फ हवाई पट्टी विस्तार हेतु किया जायेगा एवं ग्रामीणों हेतु हवाई पट्टी से बायपास पहुच मार्ग के निर्माण किया जायेगा । जिससे हवाई पट्टी विस्तार के बाद ग्रामीणों के ग्राम तक पहुचने में असुविधा ना हो ।
3	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है?		
(i)	परिवारों की संख्या	(i)	निरक
(ii)	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारो की	(ii)	निरक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	(iii)	निरक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	4	आवश्यक नही ।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि मे पुनः वनीकरण की वचन–बद्धता संलग्न की जाए।	5	वचन पत्र सलग्न है

6	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्योरा	6	संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजो का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–
			1. राज्य शासन विमानन विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति पत्र की छाया प्रति
			2. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन पंजीयन हेतु पंजीयन एवं प्रोसेसिंग की राशि का डिमांड ड्राफट मूल प्रति
			3. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर जशपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र
			4. परियोजना का विस्तृत मानचित्र 1:50000 स्केल टोपोशिट पर
			5. परियोजना का विस्तृत विवरण रिपोट (डी.पी.आर.)
			6. एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाने का वचन पत्र
			7. अन्य प्रमाण / वचन पत्र
			8. परियोजना हेतु आवेदित वनभूमि का डी.जी.पी.एस. सवे कार्डीनेट एवं रिपोर्ट

हस्ताक्षरकर्ता

तिथि : 05 / 02 / 2015
स्थान : जशपुर

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग–जशपुर
जिला जशपुर (छ.ग.)

16.12.11

छत्तीसगढ़ शासन
विमानन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय – रायपुर

क्रमांक 19 /विमानन/2011 रायपुर, दिनांक 25/10 /2011

प्रति,
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– जिला जशपुर स्थित आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन (चौड़ीकरण व विस्तारीकरण) हेतु निर्माण कार्य राशि रू. 885.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

---0000---

राज्य शासन एतद् द्वारा जिला जशपुर स्थितम आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन (चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण) हेतु निर्माण कार्य हेतु मांग संख्या –42–5053–02–102–~~02~~–0101–4727 के अंतर्गत राशि रू. 885.69 लाख (रू. आठ करोड़ पचयासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 566/सी.एम. 00000699/बजट–2/वित्त/चार/2011, दिनॉक 03.10.2011 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सहमति प्राप्त की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से आदेशानुसार

(अब्बास खान)
अवर सचिव
विमानन विभाग
मंत्रालय – रायपुर

-2-

न्यायालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्रमांक /वाचक/2015: जशपुर, दिनांक जनवरी, 2015

लोक निर्माण विभाग, संभाग–जशपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा ग्राम तुरीलोदाम में **आगडीह हवाई पट्टी के प्रस्तावित विस्तारीकरण** कार्य हेतु चयनित भूमि वर्तमान स्थिति **अनुसूची–1** में अंकित राजस्व वन भूमि है, गैर वानिकी उपयोग के लिए मुख्य वन संरक्षक, रायपुर कार्यालय में **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है :–

अनुसूची–1

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा हे0 में	उपयोग हेतु मांग किया गया रकबा हे0 में	दर्ज मद
01.	188	4.804	1.975	छोटे झाड़ का जंगल
02.	195	3.042	2.540	छोटे झाड़ का जंगल
योग–	.02	**7.846**	**4.515**	—

उपरोक्त भूमि की जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रतिवेदन अनुसार **अनुसूची 1** में अंकित भूमि जो **राजस्व वन भूमि** है, पर लोक निर्माण विभाग, संभाग–जशपुर, ग्राम तुरीलोदाम में **आगडीह हवाई पट्टी के विस्तारीकरण** हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा।

अतः **अनुसूची 1** में उपयोग हेतु मांग किया गया, **कुल रकबा 4.515 हे0** राजस्व वन भूमि को **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के तहत गैर वानिकी प्रयोजन में उपयोग हेतु देने में इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

Sd/-
कलेक्टर,
जशपुर (छत्तीसगढ़)

क्र0/वाचक/2015: /398A जशपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर को सूचनार्थ।
02. वन मण्डलाधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर को सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर को सूचनार्थ।
04. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जशपुर (छत्तीसगढ़)

Govt.Case letter

PLATE-3

N

SATELLITE IMAGE SUPERIMPOSED WITH AIR STRIP PROJECT BOUNDARY

0 100 200 400 600 800 1,000 M.

SCALE:-10,000

Legend

Airstrip Pillar	Approach Road Highway to Air Strip-1	Airstrip Boundary
Forest Pillar	Approach Road to Air Strip-2	Revenue Forest Area
	Approach Road to Air Strip-3	

Executive Engineer P.W.D.
Jashpur Dn. Jashpurnagar
Chhattisgarh

वन मण्डलाधिकारी
जशपुर वन मण्डल

DGPS Survey Conducted and Map Prepared by :-
Spatial Planning And Analysis Research Centre Pvt, Ltd.,
E/11,Infocity, Chandaka Industrial Estate,
Bhubaneswar - 751024.